

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 603 / 2006 / झुंझुनूं

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, चुरू.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स टी.टी.जी. इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, खेतड़ी नगर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. के. बैद,

उप राजकीय अभिभाषक

कोई नहीं

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 16 / 07 / 2015

निर्णय

1. यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, चुरू (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 72/आरएसटी/झुंझुनूं/2002-03 में पारित किये गये आदेश दिनांक 30.08.2005 के विरुद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 16.3.2002 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का वर्ष 1993-94 का मूल कर निर्धारण आदेश राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 (जिसे आगे 'पुराना अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 10 के तहत दिनांक 23.02.95 को पारित किया गया था, जिसमें प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतड़ीनगर से अवार्डेड पॉल्यूशन प्लान्ट एण्ड इक्यूपमेंट का संविदा कार्य रुपये 8,05,78,459/- का निष्पादित किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त कार्य को करमुक्त मानते हुए कर से छूट प्रदान की गयी थी। तत्पश्चात पश्चातवर्ती कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण में कुछ बिन्दुओं पर करारोपण होने से रह जाने के कारण पुराने अधिनियम की धारा 12 के तहत कारण बताओ नोटिस दिनांक 24.07.2001 को जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी ने जाहिर किया कि प्रकरण कालातीत हो चुका है, अतः नोटिस क्षेत्राधिकार से बाहर है। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त जवाब को अस्वीकार करते हुए अधिनियम की धारा 30 के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 16.03.2002 पारित करते हुए पॉल्यूशन


लगातार.....2

प्लान्ट की स्थापना में सिविल कार्य का भुगतान रुपये 16,00,000/- मानते हुए, इसमें से रुपये 2,00,000/- की सीमेंट, रुपये 2,00,000/- की ईंट, रुपये 1,60,000/- की बजरी, रुपये 6,00,000/- का सरिया एवं रुपये 50,000/- की वेल्डिंग रोड़ की अपंजीकृत खरीद किया जाना अवधारित करते हुए, इन पर 10/4 प्रतिशत की दर से कर रुपये 97,000/- एवं ब्याज रुपये 1,86,240/- कुल रुपये 2,83,240/- का आरोपण किया गया।

3. प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.08.2005 से इस आधार पर स्वीकार की गयी कि कर निर्धारण वर्ष 1993-94 के पुनः कर निर्धारण हेतु जारी प्रथम नोटिस दिनांक 24.07.2001 समयावधि पार था, जिसके आधार पर कर निर्धारण अधिकारी आदेश पारित नहीं कर सकते थे। अपीलीय अधिकारी द्वारा यह भी अवधारित किया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा निष्पादित संविदा कार्य राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 5.7.1985 से करमुक्त है, जिस पर विचार किये जाने के उपरान्त ही पूर्ववर्ती कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मूल कर निर्धारण आदेश पारित किया गया था। पूर्ववर्ती कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सचेतन मस्तिष्क से विचार करते हुए किसी टर्नओवर पर कर निर्धारण आदेश पारित किया जा चुका है, तो पश्चातवर्ती कर निर्धारण अधिकारी उसी टर्नओवर पर मत परिवर्तन के आधार पर कर निर्धारण की कार्यवाही नहीं कर सकते। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. बावजूद सूचना प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने से प्रत्यर्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

5. बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुराने अधिनियम की धारा 12 के तहत प्रथम नोटिस दिनांक 24.6.1996 को जारी किया गया था, जो कि वर्ष 93-94 के लिये समय-सीमा में था एवं इसी नोटिस के आधार पर कर निर्धारण की कार्यवाही की गयी है, अतः अपीलीय अधिकारी का यह मानना अनुचित है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस समयावधि से बाहर है। यह भी कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा पॉल्यूशन कण्ट्रोल इक्यूपमेंट करमुक्त है, ना कि सिविल कार्य। पॉल्यूशन कण्ट्रोल इक्यूपमेंट की स्थापना बिना सिविल कार्य के नहीं हो सकती।



लगातार.....3




अतः सिविल कार्य एवं इरेक्शन कार्य पर किया गया करारोपण पूर्णतया विधिसम्मत था, जिसे अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी ने त्रुटि की है। अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 30 के तहत पारित किया गया विवादित आदेश मत परिवर्तन के आधार पर ना होकर, छूटे हुए कर निर्धारण से सम्बन्धित है। अतः इस बिन्दु पर भी अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अतः पोल्यूशन कन्ट्रोल हेतु निष्पादित संविदा कार्य राशि रुपये 8,05,78,457/- के संविदा कार्य में सीमेंट, ईट, बजरी, सरिया व वेल्डिंग रोड्स की रुपये 12,10,000/- की अपंजीकृत खरीद अवधारित करते हुए तदनुसार कर व ब्याज का आरोपण विधि अनुसार किया गया था। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का समुचित विश्लेषण किये बिना प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

7. प्रकरण की विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(5)एफडी गुप-IV/85-25 दिनांक 5.7.85 का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-

S.O.43.-In exercise of the powers conferred by S.4(2), RST Act, 1954, the State Govt. being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby *exempts* with immediate effect from tax the sale of pollution control equipments, on the following conditions:-

1. Such equipments are sold to an industry which holds a valid R.C. under the said Act.
2. The selling dealer obtains from the industry and furnishes to the AA-
  - (a) a declaration in writing by the industry that such equipment purchased by it shall be utilized by it in its own industrial establishment in Rajasthan for pollution control; and
  - (b) a certificate in writing by the concerned Pollution Control Board that the industry needs such pollution control equipments.



लगातार.....4



8. राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 2(o)-'Sale' एवं 2(s)-'taxable turnover' की परिभाषायें निम्न प्रकार हैं :-


## 2. Definitions.-

**(O) "Sale", with all its grammatical variations and cognate expressions, means every transfer of property in goods (other than by way of mortgage, hypothecation, charge or pledge) by one person to another for cash, or deferred payment or other valuable consideration and includes,-**

- (i) a transfer, otherwise than in pursuance of a contract, of property in goods for cash, deferred payment or other valuable consideration;
  - (ii) a transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) [involved in] the execution of a works contract;
  - (iii) a delivery of goods on hire-purchase or other system of payment by instalments;
  - (iv) a transfer of the right to use goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration;
  - (v) a supply of goods by any unincorporated association or body of person to a member thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration;
  - (vi) a supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink (whether or not intoxicating); where such supply is for cash, deferred payment or other valuable consideration;
- and such transfer, delivery or supply shall be deemed to be a sale and the word "purchase" or "buy" shall be construed accordingly:

**Explanation I.-** The transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract shall be deemed to take place within the State of Rajasthan if the goods are within the State at the time of their appropriation or application or use for the execution of the works contract irrespective of the place where the agreement for such works is made or from where the goods are transferred or delivered for use in the works contract.

**Explanation II.-** Where the work under a works contract is spread over many States including the State of Rajasthan, the proportionate work done within the State of Rajasthan shall be deemed to be the sale under this clause irrespective of the place of agreement for works or the point of movement of goods involved in the execution of that works contract.






- (s) **"Taxable turnover"** means that part of turnover which remains after deducting therefrom the aggregate amount of the proceeds of sale of goods-
- (i) **on which no tax is leviable under this Act,**
  - (ii) which have already been subjected to tax under this Act,
  - (iii) which have been sold to persons outside the State for consumption outside the State, and
  - (iv) which are taxable at a point of sale within the State subsequent to the sale by the dealer and such sale is covered by a declaration as may be required under any provision of this Act or the rules made thereunder.

Provided that where a dealer in goods which are exempted from tax unconditionally, sells any bardana, container or any other packing material received along with such goods at the time of purchase thereof by him, the taxable turnover in respect of such sales shall, at the option of such dealer to be exercised in the prescribed manner, be one per cent of the aggregate amount of the sale prices received or receivable by him in respect of the sale or supply of such goods and of such bardana, container or material;

[Provided further that when any dealer has purchased any goods without paying any tax or after paying tax at concessional or reduced rate of tax on the strength of any declaration furnished by him under the Act and such goods are used by him for any purpose other than the one mentioned in the declaration, the purchase price of such goods shall be included in his taxable turnover [and such dealer shall be liable to pay tax at full rate or at the rate not less than the difference between the full rate of tax on the sale of such raw material under section 5 and the concessional rate of tax already paid by him thereon].]

9. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 21 एस.टी.सी. 245 (एस.सी.) स्टेट ऑफ मद्रास बनाम रिचर्डसन एण्ड क्रदास लिमिटेड में निम्न व्यवस्था दी गयी है :-

"Fabrication of bottle cooling equipment and installation :- A contract for supplying for an inclusive price a specially designed fabricated unit to be assembled and installed by specially trained technicians in the premises of the customer was not a contract for sale of a unit or different parts of the unit as specific good but was a work contract."



लगातार.....6



"The respondent entered into contracts with the customers at an inclusive price for the work of fabrication of bottle cooling equipments required in the premises of the customers and for installation of the equipments. Under the contract the respondent undertook to fabricate different parts of the unit according to the special requirements of the customer and to install the unit in the premises of the customer. Each bottle cooling unit required special fabrication and had to be installed at the place selected by the customer and found suitable for installation of the unit :


Held, on the facts, that the contract being one for supplying for an inclusive price a specially designed fabricated unit to be assembled and installed by specially trained technician in the premises of the customer, it was not a contract for sale of a unit or different parts of the unit as specific goods, but was a works contract."

10. माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2007) 9 वी.एस.टी. 115 (एस.सी.) स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य बनाम मैसर्स पी.एन.सी. कन्स्ट्रक्शन कं० लिमिटेड व अन्य में व्यवस्था दी है कि -

".....The definition of the word "Sale" includes transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract. These words flow from the definition of the word "Sale" in the Act to Article 366(29A)(b) of the Constitution. The said words have been interpreted by this Court, as stated above, in the second Gannon Dunkerley's case (Supra) in following words vide para 36:

"36. If the legal fiction introduced by Article 366(29-A) is carried to its logical end it follows that even in a single and indivisible works contract there is a deemed sale of the goods which are involved in the execution of a works contract. Such a deemed sale has all the incidents of a sale of goods involved in the execution of a works contract where the contract is divisible into one for sale of goods and the other for supply of labour and services."

11. हस्तगत प्रकरण में विवादित बिन्दु यह है कि "Pollution Control Equipment" के विक्रय/संकर्म संविदा के संव्यवहार पर राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.4(5)एफडी गुप-IV/85-25 दिनांक 5.7.85 के अधीन करमुक्ति अनुज्ञेय है अथवा नहीं ?




लगातार.....7

12. उपरोक्त विवेचना व माननीय न्यायालयों द्वारा उपरोक्त वर्णित दी गई व्यवस्थाओं के प्रकाश में यह निष्कर्षित किया जाता है कि यह संकर्म संविदा का संव्यवहार होने की स्थिति में भी अधिसूचना के अधीन करमुक्ति अनुज्ञेय होगी, क्योंकि 'बिक्री' की परिभाषा में संकर्म संविदा सम्मिलित है तथा वह भी बिक्री की परिभाषा में ही शुमार होगी। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 5.7.1985 के द्वारा 'पोल्यूशन कन्ट्रोल इक्यूपमेंट' को करमुक्त घोषित किया गया है तथा संकर्म संविदा बिक्री की परिभाषा में शुमार होता है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संकर्म संविदा संव्यवहार को विभाजित किया जाकर कर आरोपित करना विधिक प्रावधानों के अधीन अनुज्ञेय नहीं है।

13. परिणामस्वरूप राजस्व की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 30.08.2005 की पुष्टि की जाती है।

14. निर्णय सुनाया गया।

  
16.07.2013  
( मनोहर पुरी )  
सदस्य